तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/10/21	वकलात उप० । पत्रावली न्यायालय के दौरान कार्य के व्यस्त रहने से पत्रावली वास्ते सुनवाई आदेश दिनांक 8/11/21 को पेश हो। SDO
8/11/21	वकलात उप० । पत्रावली का अवलोकन किया। वानुसार बहस दर खुले एक माह से ज्यादा समय हो जाने से पत्रावली वास्ते पुनः मजीद बहस हेतु दिनांक 6/12/21 को पेश हो। SDO
6/12/21	वकलात उप० । मजीद बहस दस्त का समय चाहते हैं दिया जाता है पत्रावली आइन्दा दिनांक 12/01/22 को पेश हो। SDO
12/01/22	वकलात उप० । मजीद बहस का समय चाहते हैं दिया जाता है पत्रा० आइन्दा दिनांक 31/3/22 को पेश हो। SDO
31/03/22	वकलात उप० । मजीद बहस का समय चाहते हैं दिया जाता है; पत्रावली दिनांक 17/05/2022 को पेश हो। S.D.O.
17/05/22	वकलात उप० । बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/5/22 को पेश हो। S.D.O.
31/5/22	पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत ~~धारा 07 R 11~~ O7 R 11 CPC सपठित धारा [illegible] CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के विरुद्ध [illegible] प्रार्थी प्रतिवादी 188 राज० काश्तकारी अधि० [illegible] बाबत वाद [illegible] धारा प्रस्तुत किया है लेकिन वादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलेखित खातेदार नहीं है तथा न ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया है. इसी प्रकार वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए

प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनाय वाद उत्पन्न नहीं होता है, अतः वाद विधि विरूद्ध द्वारा बाधित होने से इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

अप्रार्थी वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र मे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रति०सं० (1) की स्व अर्जित सम्पत्ति न होकर पिता चतुर्भुज से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति है अतः वादी सं० (1) प्रतिवादी संख्या (1) का पुत्र होने के कारण वादग्रस्त आराजी मे जन्म से ही हक व अधिकार निहित है अतः स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद लाने का अधिकार है। तथा वादपत्र मे वाद कारण का भी उल्लेख किया है, अतः प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारीज योग्य है।

वाद-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी संख्या (1) तथा (2) जो प्रति० सं० (1) के क्रमशः पुत्र व पत्नी है द्वारा प्रतिवादी पिता व पति के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी को पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद-पत्र प्रस्तुत किया राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 मे निम्नानुसार विधिक प्रावधान है- "(1) कोई अधिकारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू-धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए [illegible]"

इस प्रकार स्पष्ट है कि [illegible] खातेदार अधिकारी ही [illegible] बाबत वाद-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, वा[illegible] पत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भू-अभिलेख मे प्रति सं० (1) के नाम दर्ज है. वादी संख्या (2) प्रति संख्या (1) की पत्नी है जिनका वादी के जीवनकाल मे उनकी सम्पत्ति में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इ… मे जा…
	अधिकार निहित नहीं होता है। साथ ही वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अनुतोष नहीं चाहा गया, ऐसी स्थिति में इस्तगासा वाद-पत्र राज. काश्त. अधि.-1955 की धारा 188 के विधिक उपबन्धों एवं अनिवार्यता से बाधित होने के कारण वादपत्र इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः प्रतिवादी अप्रार्थी का इस्तगासा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 R11 सपठित धारा-151 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वाद-पत्र राजस्थान काश्त. अधि.-1955 की धारा-188 के विधिक प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] S.D.O.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:52 IST
Reason: SelfAttested